

2	योजना का नाम –	मुख्यमंत्री आवास योजना –ग्रामीण।
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित , वनटागिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पात्रता से आच्छादित परन्तु सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना–2011 के आंकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी वर्तमान पात्रता सूची में सम्मिलित न हो पाने वाले अनेक परिवार छत विहिन है या कच्चे , जर्जर आवासों में निवास कर रहे है। किन्तु देवी आपदा से प्रभावित मकानों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से 95100/–की धनराशि न प्राप्त हुई हो तथा 1.4. 2017 के बाद आवास क्षतिग्रस्त हुआ हो। ऐसे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण लागू की गई है।</li> <li>• योजनान्तर्गत स्वीकृत लाभार्थियों का धनराशि का आवंटन 3 किस्तों में एफ0टी0ओ0 के माध्यम से उनके व्यक्तिगत एकाउन्ट में विकास खण्ड के द्वारा स्थानान्तरित की जाती है। नवीनतम निर्देशानुसार प्रथम किस्त में 40000/– जिससे आवास का निर्माण प्लिंथ लेवल होने के पश्चात द्वितीय किस्त रू0 70000/– तथा आवास का निर्माण छत पडने व प्लॉस्टर होने के पश्चात तृतीय किस्त रू0 10000/– की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।</li> <li>• आवास महिला के नाम अथवा पति /पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जायेगा।</li> <li>• मनरेगा से 90 दिन की सीमा तक कन्वर्जन्स की व्यवस्था की गयी है।</li> <li>• स्वच्छ भारत मिशन/मनरेगा के अन्तर्गत षौचालय के निर्माण हेतु रू0 12000 की धनराशि प्रदत्त किये जाने का प्राविधान है।</li> </ul>
4	पात्रता की अर्हता–	लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गयी आवास हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार किया जाता है।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	–
6	लिंक वैबसाईट	.
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 अथवा संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।